A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

ज़िला योजना

राज्य में कृषि विकास कार्यो को गति देने हेतु वर्ष 2011–12 से सभी जनपदों की कम्प्रीहेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान अनुभवी संस्थाओं से तैयार करायी गयी है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर तक सूक्ष्म नियोजन करते हुये तद्नुसार विकास करना है। योजना का विवरण निम्नवत् है–

सी–डेप आधारित कृषि विकास कार्यक्रम– जिला योजना (नई योजना)

प्रत्येक क्षेत्र की कुछ विशिष्ट समस्यायें हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण समस्याओं में इतनी विविधता है कि एक क्षेत्र की सामान्य समस्या किसी दूसरे क्षेत्र के लिये किसी आपदा से कम नहीं होती है। अतः जिला योजना के अतर्गत जिला स्तर पर समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हांकन करने, समस्याओं के समाधान के लिये जिला स्तर पर रणनीति तैयार करने एवं तदनुसार समस्याओं के समाधान के लिये पहल करने की स्वतंत्रता दी गयी है। इसके अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर एक ग्राम का चयन कर उसका सूक्ष्म नियोजन करने तथा सूक्ष्म नियोजन के आधार पर विकास करने का लक्ष्य रखा गया है, जो निम्नवत् है–

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य चयनित ग्राम को पूर्ण पैकेज प्रदान करते हुये, विकास की मुख्यधारा में लाना है।

गॉव का चयन

आवश्यकता के आधार पर ग्राम सर्वेक्षण/सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त प्रत्येक न्याय पंचायत से वर्ष 2013–14 के लिये एक गाँव का चयन किया गया जो कि विगत वर्ष के चयनित ग्राम से भिन्न होगा।

गॉव का एक्शन प्लान

चयनित ग्राम का खरीफ के लिये एक्शन प्लान अप्रैल प्रथम पक्ष में तैयार किया गया। एक्शन प्लान के अंतर्गत गॉव के आधारभूत ऑकडों के आधार पर कृषि निवेशों की आवश्यकता तथा गॉव की आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित विविध कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का अनुमान लगाया जायेगा। ग्राम की विशेष आवश्यकता जो अन्य ग्रामों की आवश्यकता से भिन्न हो तथा पूरे समूह की आवश्यकता हो के लिये एक्शन प्लान में विशेष व्यवस्था की गयी है। ऐसा कार्यक्रम सभी किसानों के

लिये निशुल्क चलाया जायेगा। इसी प्रकार रबी के लिये माह सितम्बर में एक्शन प्लान पुनः तैयार किया जायेगा।

एक्शन प्लान की निर्देशिका

- ग्राम स्तर पर नियोजन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, फार्मर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप्स, यूजर्स ग्रुप्स को ग्राम के विकास के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा विकास में उसकी भागेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- एक्शन प्लान के आधार पर किसानों की कृषि निवेशों संबंधी व्यक्तिगत मांग राज्य सैक्टर/केन्द्रपोषित सैक्टर की योजनाओं से पूरी की जायेंगी। शेष कार्यक्रम जिला प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित किये जायेंगे।
- ग्राम स्तर की विशिष्ट आवश्यकता के लिये कृषक समूह/लाभार्थी समूह को शत प्रतिशत अनुदान पर सुनिश्चित करायी जायेगी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के समूह को उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्र वितरित किये जाने के कार्यक्रम को विस्तार देते हुये उन गॉवों के सामान्य जाति के कृषकों को भी समूह का गठन करते हुये लाभान्वित किया जा सकता है, जहॉ अधिकतर किसान बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं तथा अनुदानित मूल्य पर भी शक्तिचालित यंत्र क्रय करने में असमर्थ हैं, प्रतिबन्ध यह है कि केवल शक्तिचालित यंत्र ही समूह को दिये जायेंगे। इस संदर्भ में पूर्व निर्देशों के अनुसार समूह के गठन एवं अनुबन्ध पत्र भरने संबंधी कार्यवाही आवश्यक रुप से पूर्ण की जायेगी।
- प्रत्येक चयनित ग्राम के लिये एक सीड ट्रीटमेन्ट ड्रम कृषक समूह को शत प्रतिशत अनुदान पर दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- परती भूमि को उपयोग में लाये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।
- उपयुक्त चयनित ग्रामों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोडा जायेगा।
- आतमा परियोजना के माध्यम से कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।
- कीट एवं रोगों के प्रकोप के समूल निस्तारण हेतु शत प्रतिशत अनुदान पर चयनित ग्राम के लिये क्षेत्र उपचार का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है, किन्तु यदि चयनित ग्राम जैविक खेती के लिये चयनित क्लस्टर के अंतर्गत आता हो तो आई0पी0एम0 पद्धति के अंतर्गत ही क्षेत्र उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- जैविक खादों के निर्माण तथा प्रयोग को बढावा दिया जायेगा।

गॉव का एक्शन प्लान

चयनित ग्राम का खरीफ के लिये एक्शन प्लान अप्रेल प्रथम पक्ष में तैयार कर लिया जायेगा। एक्शन प्लान के अंतर्गत गॉव के आधारभूत ऑकडों के आधार पर कृषि निवेशों की आवश्यकता तथा गॉव की आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित विविध कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का अनुमान लगाया जायेगा। ग्राम की विशेष आवश्यकता जो अन्य ग्रामों की आवश्यकता से भिन्न हो तथा पूरे समूह की आवश्यकता हो के लिये एक्शन प्लान में विशेष व्यवस्था की जायेगी। ऐसा कार्यक्रम सभी किसानों के लिये निशुल्क चलाया जायेगा। इसी प्रकार रबी के लिये माह सितम्बर में एक्शन प्लान पुनः तैयार किया जायेगा।

एक्शन प्लान की निर्देशिका

- ग्राम स्तर पर नियोजन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, फार्मर्स इन्ट्रेक्टस ग्रुप्स, यूजर्स ग्रुप्स को ग्राम के विकास के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा विकास में उसकी भागेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- एक्शन प्लान के आधार पर किसानों की कृषि निवेशों संबंधी व्यक्तिगत मांग राज्य सैक्टर/केन्द्रपोषित सैक्टर की योजनाओं से पूरी की जायेंगी. शेष कार्यक्रम जिला प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित किये जायेंगे।
- ग्राम स्तर की विशिष्ट आवश्यकता के लिये कृषक समूह/लाभार्थी समूह को शत प्रतिशत अनुदान पर सुनिश्चित करायी जायेगी।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के समूह को उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्र वितरित किये जाने के कार्यक्रम को विस्तार देते हुये उन गॉवों के सामान्य जाति के कृषकों को भी समूह का गठन करते हुये लाभान्वित किया जा सकता है, जहॉ अधिकतर किसान बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं तथा अनुदानित मूल्य पर भी शक्तिचालित यंत्र क्रय करने में असमर्थ हैं। प्रतिबन्ध यह है कि केवल शक्तिचालित यंत्र ही समूह को दिये जायेंगे. इस संदर्भ में पूर्व निर्देशों के अनुसार समूह के गठन एवं अनुबन्ध पत्र भरने संबंधी कार्यवाही आवश्यक रुप से पूर्ण की जायेगी।
- प्रत्येक चयनित ग्राम के लिये एक सीड ट्रीटिंग ड्रम कृषक समूह को शत प्रतिशत अनुदान पर दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- परती भूमि को उपयोग में लाये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।
- उपयुक्त चयनित ग्रामों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोडा जायेगा।
- आतमा परियोजना के माध्यम से कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।
- कीट एवं रोगों के प्रकोप के समूल निस्तारण हेतु शत प्रतिशत अनुदान पर चयनित ग्राम के लिये क्षेत्र उपचार का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है, किन्तु यदि चयनित ग्राम जैविक खेती के

लिये चयनित क्लस्टर के अंतर्गत आता हो तो आई0पी0एम0 पद्धति के अंतर्गत ही क्षेत्र उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- जैविक खादों के निर्माण तथा प्रयोग को बढावा दिया जायेगा।

वर्ष 2013–14 में सी–डेप आधारित जिला योजना की भौतिक उपलब्धियाँ मदवार निम्न प्रकार हैं

क्र0सं0	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति
1.	जलपम्प,स्प्रिंकलर सैट, कृषि यंत्रीकरण योजना	सं0	1948	1904
2.	नमी संरक्षण	है0	512	512
3.	भूमि एवं जल संरक्षण	है0	3072	2827
4.	पौध सुरक्षा कार्यक्रम/कुरमुला कीट नियंत्रण	है0	7099	9426
5.	सीड मिनी किट वितरण	सं0	25526	24373
6.	कुरमुला कीट जैविक नियंत्रण	है0	200	117
7.	बायो कम्पोस्टिंग संरचनाओं का निर्माण	सं0	200	145
8.	महिला प्रशिक्षण/कृषक प्रशिक्षण/ के0वी0के0 अनुसंधान संस्थानों का प्रशिक्षण	सं0	368	304
9.	सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोत्साहन	है0	1260	811
10.	एच0डी0पी0ई0 पाइप	मीटर	5000	3200
11.	अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन	है0	360	214
12.	मृदा परीक्षण	सं0	38739	36125
13.	सीड ट्रीटमेंट ड्रम वितरण	सं0	512	512

वर्ष 2013–14 की भांति ही ग्राम स्तर पर सूक्ष्म नियोजन का जिला स्तर पर कार्ययोजनाओं के अनुसार कार्यों का संपादन वर्ष 2014–15 के लिए किया जायेगा।